कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) बलिया

पत्रांकः 251 /जि0नि0का0/पं0नि0/रिक्त पद/निर्वाचन/2021 दिनांक 02 जून, 2021

सार्वजनिक सूचना

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश लखनऊ की अधिसूचना संख्या–3753/ रा0नि0आ0–3/पं0नि0/46–21/2021 दिनांक 31.05.2021 अनुपालन में **मैं, अदिति सिंह, जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी(पंचायत) बलिया** एतद्द्वारा यह आदेश देती हूँ कि जनपद में त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन–2021 की मतगणना दिनांक 02.05.2021 सम्पन्न कराये जाने के पश्चात् कतिपय पदों पर नाम निर्देशन पत्र प्राप्त न होने अथवा अन्य किसी कारण से निर्वाचन प्रक्रिया सम्पन्न नहीं हो पाई है और स्थान/पद रिक्त हैं। उक्त के अतिरिक्त निर्वाचन सम्पन्न होने के पश्चात् निधन या अन्य कारण से रिक्त सदस्य ग्राम पंचायत/प्रधान ग्राम पंचायंत/सदस्य क्षेत्र पंचायत के रिक्त स्थान/पदों पर निर्वाचन जो मा0 न्यायालय के स्थगनादेश से बाधित न हों, पर निम्नांकित विनिर्दिष्ट समय–सारिणी के अनुसार कराये जायेगें:–

नामांकन का दिनांक व समय	नामांकन पत्रों की संवीक्षा का दिनांक व समय	उम्मीदवारी वापस लेने का दिनांक व समय	प्रतीक आवंटन का दिनांक व समय	मतदान का दिनांक व समय	मतगणना का दिनांक व समय
3	4	5	6	7	8
06 जून, 2021 (पूर्वाह्न 08:00 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक)	06 जून, 2021 (अपराह्न 05:00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	07 जून, 2021 (पूर्वाह्न 08:00 बजे से 03:00 बजे तक)	07 जून, 2021 (अपराह्न 03:00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	12 जून, 2021 (पूर्वाह्न 07:00 बजे से अपराह्न 06:00 बजे तक)	14 जून, 2021 (पूर्वाह्न 08:00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)

2. निर्वाचन अधिकारी(पंचायत) द्वारा अपने विकास खण्ड में रिक्त स्थानों/पदों पर निर्वाचन हेतु प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का पूर्ण विवरण देते हुए दिनांक 03.06.2021 को सूचना निर्गत की जाएगी, जिसकी प्रति जिला निर्वाचन कार्यालय (पंचायत एवं नगरीय निकाय) बलिया को भेजेगें एवं इस निर्वाचन कार्यक्रम को प्रमुख स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित कराते हुए व्यापक प्रचार कराया जाएगा और गाँवों में मुनादी द्वारा सर्वसाधारण को इसकी सूचना दी जाएगी। सार्वजनिक जानकारी हेतु ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, तहसील कार्यालय और जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के सूचना पट्ट पर यह कार्यक्रम प्रदर्शित किया जाएगा। उक्त सामान्य निर्वाचन उत्तर प्रदेश पंचायतराज(सदस्यों, प्रधानों और उप प्रधानों का निर्वाचन) नियमावली 1994 एवं उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (सदस्यों का निर्वाचन), नियमावली, 1994 के अनुसार सम्पन्न होगा। निर्वाचन अधिकारी की सूचना निर्गत किए जाने के दिनांक अर्थात् 03.06.2021 से नामांकन पत्रों का विक्रय किया जाएगा।

3. उपर्युक्त निर्वाचन में प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत के नामांकन पत्रों का विक्रय, नामांकन पत्रों के दाखिल करने, उनकी संवीक्षा करने, उम्मीदवारी वापस लेने तथा चुनाव चिन्ह आवंटन का कार्य सम्बन्धित विकासखण्ड मुख्यालय पर होगा। ग्राम पंचायत के प्रधानों, सदस्यों एवं क्षेत्र पंचायत के सदस्यों के पदों पर मतदान सम्बन्धित ग्राम पंचायत के निर्धारित मतदान केन्द्र/स्थलों पर होगा तथा मतों की गणना एवं परिणाम की घोषणा विकासखण्ड मुख्यालय पर की जाएगी।

4. उपर्युक्त समय सारिणी के मध्य पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों पर भी सम्बन्धित कार्यालय खुले रहेंगे और निर्धारित समय सारिणी के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

2.6.21

(अदिति सिंह)
जिला मजिस्ट्रेट/
जिला निर्वाचन अधिकारी(पंचायत)
बलिया

Scanned with CamScanner